न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 96/2023

अनवान : –

1. महावीर पुत्र उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. महीराम पुत्र अखुराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. हनुमान पुत्र उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र अखुराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. राधा पत्नी अखुराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. जमना पुत्री उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. गंगा पुत्री उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रेख जिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 2/2 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.3470 है0 भूमि में से 999/4898 हिस्सा भूमि मृतक उगमसिंह पुत्र अखुराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 92/91 के खसरा नं. 110 की 7.6500 है0 भूमि में से मृतक रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक के 478/19125 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 91/90 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.4970 है0 भूमि में से मृतका रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक के 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है [illegible] त्याग रोही मौजा रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 2/2 व रोही मौजा गिराजसर [illegible] 92/91 व 91/90 में वादी संख्या 1 के मृतक पिता व मृतक माता व बहिनो के नाम कृषि भूमि में वादी संख्या 1 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 91/90 के खसरा नं. 54/2 व 66 की 8.4970 है0 भूमि में दर्ज काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण की जाति जाट दर्ज है जो कि गलत है जबकि वादीगण की सही जाति राईका है जिसके वादीगण दुरूस्त करवाकर जाट के स्थान पर राईका दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2071–74 रोही मौजा गिराजसर खाता संख्या 91/90 व 92/90, रोही मौजा रेखजिन्द्रासर सम्वत 2070–73 खाता संख्या 2/2, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 ता 38 रोही मौजा गिराजसर, सदस्य प्रमाण पत्र बहक उगमाराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण तथा वादी की माता रूकमा पत्नी उमगाराम वादी के पिता उमगाराम के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है रूकमा पत्नी उमगाराम व उमगाराम पुत्र अखुराम का देहान्त हो चुका है रूकमा पत्नी उमगाराम व उमगाराम पुत्र अखुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की रूकमा पत्नी उमगाराम व उमगाराम पुत्र अखुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद [illegible]ार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई [illegible] नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेख जिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 2/2 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.3470 है0 भूमि में से 999/4898 हिस्सा भूमि मृतक उगमसिंह पुत्र अखुराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 92/91 के खसरा नं. 110 की 7.6500 है0 भूमि में से मृतक रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक के 478/19125 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 91/90 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.4970 है0 भूमि में से मृतका रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक के 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि रूकमा पत्नी उमगाराम व उगमसिंह पुत्र अखुराम का देहान्त हो चुका है। रूकमा पत्नी उमगाराम व उगमसिंह पुत्र अखुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है। प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार उगमसिंह पुत्र अखुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मिसल बन्दोबस्त में अखुराम की जाति राईका दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख जिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 2/2 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.3470 है0 भूमि में से 999/4898 हिस्सा भूमि में मृतक उगमसिंह पुत्र अखुराम का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 92/91 के खसरा नं. 110 की 7.6500 है0 भूमि में मृतका रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 91/90 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.4970 है0 भूमि में से मृतका रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर तीनो खातो की भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा गिराजसर के खाता संख्या 91/90 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8.4970 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण की जाति जाट की जगह राईका दुरूस्त कि जाकरं वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 96 / 2023

अनवान : –

1. महावीर पुत्र उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. महीराम पुत्र अखुराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. हनुमान पुत्र उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र अखुराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. राधा पत्नी अखुराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. जमना पुत्री उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. गंगा पुत्री उगमाराम जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 96 सन 2023 निर्णय दिनांक – 14/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख जिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 2/2 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.3470 है0 भूमि में से 999/4898 हिस्सा भूमि में मृतक उगमसिंह पुत्र अखुराम का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 92/91 के खसरा नं. 110 की 7.6500 है0 भूमि में मृतका रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 91/90 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.4970 है0 भूमि में से मृतका रूकमा पत्नी उगमाराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर तीनो खातो की भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा गिराजसर के खाता संख्या 91/90 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.4970 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण की जाति जाट की जगह राईका दुरूस्त कि जाकरं वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर